शिया मज़हब

पर होने वाले एतेराज़ात के जवाबात

(अहले सुन्नत की किताबों की रौशनी में)

लेखक: शेख़ नज्मुद्दीन तबसी

अनुवादक: सय्यद अबरार अली जाफ़री (मंचरी)

नाशिर: अबू तालिब (अ.स) इंटरनॅशनल इस्लामिक इंस्टिट्यूट

जुमला हुक़ूक़ ब हक़्क़े नाशिर महफ़ूज़ हैं

किताब का नाम: शिया मज़हब पर होने वाले एतेराज़ात के जवाबात अहले सुन्नत की किताबों की रौशनी में.

लेखक: शेख़ नज्मुद्दीन तबसी

अनुवादक: सय्यद अबरार अली जाफ़री (मंचरी)

संशोधन: सय्यद अली अमीर रिज़वी

पेज: 75

तादाद: 1000

एडीशन (संस्करण): पहला / शाबान 1436 (2015)

कम्पोज़िंग: सय्यद इरशाद अली जाफ़री (मंचरी)

नाशिर: अबू तालिब (अ.स) इंटरनॅशनल इस्लामिक इंस्टिट्यूट बम्बई, हिन्दुस्तान

फ़ेहरिस्त (सूची)

हरफ़े नाशिर (संपादक की बात).....9

मुक़द्दमा-ए-मुअल्लिफ़.....12

सवाल नंबर 1: सबसे पहले किस शख़्स ने पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (स) की क़ब्रे मुबारक की ज़ियारत से रोका?.....13

सवाल नंबर 2: क्या पैग़म्बर (स) की क़ब्रे मुबारक को मस करना या उस की ख़ाक को तबर्रूक के तौर पर उठाना जाएज़ है? और क्या सहाबा में से किसी ने ऐसा अमल अंजाम दिया?.....14

सवाल नंबर 3: क्या मज़हब-ए-अरबाअ (चार मज़हब) के उलमा तबर्रुक, मिम्बरे मुबारक, क़ब्रे मुबारक, या दीगर औलिया-ए-ख़ुदा की क़ब्रों को मस करने को जाएज़ समझते हैं?.....16

सवाल नंबर 4: अहले सुन्नत के अपने बड़े बुज़ुर्गों की क़ब्र से तबर्रुक हासिल करने का एक नमूना बयान करें?.....19

सवाल नंबर 5: क्या ग़ैरे ख़ुदा से हाजत तलब करना जाएज़ है?.....20

सवाल नंबर 6: क़ब्र की ज़ियारत जायज़ होने की कौन सी दलील मौजूद है?.....26

सवाल नंबर 7: क्या यह हदीस ((ला तशुद्दा अल रेहाल इल्ला इला सलासति मसाजिद)) क़ब्रों पर जाने से मना नहीं कर रही?.....29

सवाल नंबर 8: क्या इस हदीस ((अल्लाह की लानत हो उन औरतों पर जो क़ब्रों की ज़ियारत करती है)) के बा वजूद औरतें क़ब्रों पर जा सकती हैं?.....32

सवाल नंबर 9: क्या अम्बिया अलैहिस्सलाम और औलिया-ए-किराम की क़ब्रों के पास खड़े होकर नमाज़ पढ़ना या दुआ करना जाएज़ है?.....35

सवाल नंबर 10: क्या यह हदीस ((ख़ुदा लानत करे यहूदियों पर कि उन्होंने अपने बड़ों की क़ब्रों को मस्जिद बना लिया)) इसी तरह यह हदीस ((परवरदिगार! मेरी क़ब्र को बुत क़रार ना देना)) क़ब्रे पैग़म्बर (स) और दूसरे क़ब्रों के पास नमाज़ पढ़ने या दुआ मांगने से मना नहीं कर रही? 37

सवाल नंबर 11: क्या इस्लामी शरीयत में क़ब्रों पर गुम्बद और ज़रीह वग़ैरा बनाने से मना किया गया है?.....41

सवाल नंबर 12: क्या यह हदीस ((पैग़म्बर (स) ने क़ब्रों को पक्की बना कर उस पर इमारत बनाने से मना किया है)) रौज़ों को बनाने से मना नहीं कर रहीं है?.....46

सवाल नंबर 13: क्या क़ब्रों पर चिराग़ वग़ैरा का रौशन करना शरई तौर पर मना है? 47

सवाल नंबर 14: क्या ज़िन्दा या मुर्दा औलिया अल्लाह के लिये मन्नत मानना जाएज़ है? 49

सवाल नंबर 15: अज़ादारी और जश्ने मीलादुन्नबी (स) वग़ैरा के बारे में इस्लाम का क्या नज़रिया है?.....52

सवाल नंबर 16: क्या अहले सुन्नत के उलमा भी मुतआ को जाएज़ समझते हैं?.....55

सवाल नंबर 17: किसलिए शिया हज़रात हाथ बांधकर नमाज़ नहीं पढ़ते?.....58

सवाल नंबर 18: नमाज़े तरावीह क्या है और किसलिए अहले सुन्नत इस की अदा करने पर इस क़दर पाबंद हैं?.....61

सवाल नंबर 19: क्या बिदअत को अच्छी और बुरी दो क़िस्मों में तक़सीम किया जा सकता है और अच्छी बिदअत से मुराद क्या है?.....64

सवाल नंबर 20: वह रिवायात जिन में यह बयान हुआ है कि हज़रत अली (अ.स) नमाज़े तरावीह पढ़ा करते या उस के लिए इमाम मुक़र्रर करते, इन्हें नमाज़े तरावीह के बिदअत होने वाली रिवायात के साथ कैसे जमा किया जा सकता है?.....65

सवाल नंबर 21: क्या यह जुमला ((अस्सलातो ख़ैरुम्मिनन नौम)) शुरू ही से अज़ान में मौजूद था या बाद में इज़ाफ़ा किया गया?.....67

सवाल नंबर 22: क्या यह जुमला ((हय्या अला ख़ैरिल अमल)) अज़ान का हिस्सा है और इसे सहाबा व ताबिईन में से किसी ने पढ़ा है?.....69

बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम

हरफ़े नाशिर (संपादक की बात)

इस वक़्त दुनिया की आबादी का पाचवाँ हिस्सा मुसलमानों पर मुश्तमिल है पूरी दुनिया के गोशा व किनार में इस्लाम के पैरोकार आबाद हैं और कई एक ग़ैर इस्लामी देशों में भी मुसलमान मौजूद हैं जिन की इल्मी तिश्नगी को दूर करने के लिये एक ऐसे इदारे का क़याम ना गुज़ीर था जो इस्लाम से मुतअल्लिक़ पेश आने वाले एतेराज़ात और सवालात का इल्मी और तसल्ली बख़्श जवाब तैयार करके दुनिया के सामने पेश कर सके. जैसा कि वली-ए-अम्र मुस्लिमीन हज़रत आयतुल्लाह ख़ामेनाई साहब ने भी इस बात की ताकीद फ़रमाई है कि: “हमें इस बात का मुंतज़िर नहीं रहना चाहिये कि अवाम और जवानों के ज़हन में कोई शक या शुबहा आये बल्कि हमें पहले ही से शुबहात के लिये तैयार रहना चाहिये और सरशार मनाबे से इस्तिफ़ादा करते हुए उन का जवाब देना चाहिये.

इसी ज़रूरत को मद्दे नज़र रखते हुए अबू तालिब (अ.स) इंटरनॅशनल इस्लामिक इंस्टिट्यूट का इफ़तिताह किया गया ताकि जवानों की इल्मी तिश्नगी को दूर किया जा सके. अलहम्दु लिल्लाह इस राह में इदारे ने बहुत कामयाबी हासिल की और बहुत ही कम वक़्त में 40 से ज़ियादा मौज़ूआत पर मुश्तमिल सैकड़ों की तादाद में किताबें दुनिया के गोशा व किनार में मुफ़्त पहुँचाई और यह सिलसिला भी मोमिनीन के तआउन व मदद से जारी है. याद रहे कि यह इदारा बर्रे सग़ीर हिन्द व पाक का वह वाहिद इदारा है जो पूरी दुनिया में कई एक ज़बानों में मुफ़्त किताबे देने की ज़िम्मेदारी उठाए हुए है.

इस सिलसिले की एक कड़ी यह किताब है जिस में शिया मज़हब पर होने वाले एतेराज़ात से मुतअल्लिक़ कई एक शुबहात का इल्मी बुनियादों पर जवाब देने की कोशिश की गई है उमीद है कि पढ़ने वाले इस किताब से भरपूर फ़ायदा उठाएगे.

इसी तरह तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ बरादरे अज़ीज़ जनाब सय्यद अबरार अली जाफ़री साहब (मंचरी) का कि जिन्होंने इस किताब का हिन्दी तर्जुमा करने की ज़हमत उठाई और यह किताब आप के हाथों में पहुँची.

वस्सलाम

बानी-ए-इदारा नाज़ीम हुसैन अकबर

15 शाबान 1436 (जून 2015)

मुक़द्दमा-ए-मुअल्लिफ़

मौजूदा किताब उन बाज़ सवालों के जवाबात का मजमुआ है जिन्हें क्लास के दौरान बयान किया गया और फिर ख़ुलासे को मद्दे नज़र रखते हुए अहले सुन्नत के मोतबर मनाबे (भरोसेमन्द किताबों) के हवाले जात (रिफ़रेंस) के साथ बहुत ही अच्छे अन्दाज़ में मुरत्तब (सेटींग) करके अवाम के सामने पेश किया जा रहा है.[1] उमीदवार हैं कि पढ़ने वालें हज़रात इस के मुतालिआ करने के बाद दूसरों तक भी पहुँचाएंगे और अगर कहीं पर कोई शक व इबहाम दिखाई दें तो मुअल्लिफ़ (लेखक) से राबिता फ़रमाएंगे. इन्शाअल्लाह आईन्दा मुफ़स्सल जवाबात बयान किये जायेंगे.

नज्मुद्दीन तबसी

22 रबीअ सानी, 1422 हिजरी

---

1 इन सवालात के मुफ़स्सल जवाबात हासिल करने के लिये मुअल्लिफ़ मुहतरम की किताब (वहाबी अफ़कार की रद्द) का मुतालिआ फ़रमाए. यह किताब अबू तालिब (अ.स) इस्लामिक इंटरनॅशनल इंस्टिट्यूट लाहोर से उर्दू ज़बान में छप चुकी है. (मुतर्जिम)

सवाल नंबर 1: सबसे पहले किस शख़्स ने पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (स) की क़ब्रे मुबारक की ज़ियारत से रोका?

जवाब: अहले सुन्नत के मोतबर आलिमे दीन हाकिमे नीशापूरी (वफ़ात 405 हि.) दाउद बिन सालेह से नक़्ल करते हैं कि एक दिन मरवान बिन हकम ने एक शख़्स को देखा जो अपने रुख़्सार को पैग़म्बर (स) की क़ब्रे मुबारक पर रखे राज़ व नियाज़ कर रहा था मरवान ने उसे गरदन से पकड़ा और कहा: क्या तुझे मालूम है कि क्या कर रहा है? उस के कहने का मक़सद यह था कि यह पत्थर और ख़ाक है इस की ज़ियारत से क्या चाहता है? ज़ाएर रिसालत-ए-माअब (स) का प्यारा सहाबी अबू अय्यूब अन्सारी (र.अ) था. उन्होंने जवाब में फ़रमाया: हाँ मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि क्या करने आया हूँ! मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया बल्कि अपने नबी (स) के पास आयां हूँ मैंने रसूले ख़ुदा (स) से सुना है: ((दीन पर उस वक़्त तक गिरया मत करो जब तक उस की सरपरस्ती अहल लोग कर रहे हैं, मगर उस वक़्त गिरया करो

जब ना अहल लोग उस के सरपरस्त बन कर बैठ जायें.))

तअज्जुब की बात तो यह है कि इस हदीस को अहले सुन्नत के इमाम हाकीमे नीशापूरी और इल्मे रिजाल के माहिर इमाम ज़हबी ने सहीह क़रार दिया है! जिस से वाज़ेह व साफ़ तौर पर यह मालूम होता है कि इसी फ़िक्र के मौजूद बनू उमय्या बिल ख़ुसूस मरवान बिन हकम है जिसे रिसालत-ए-माअब (स) ने मुल्क बदर (जिला वतन) किया था.[1]

सवाल नंबर 2: क्या पैग़म्बर (स) की क़ब्रे मुबारक को मस करना या उस की ख़ाक को तबर्रूक के तौर पर उठाना जाएज़ है? और क्या सहाबा में से किसी ने ऐसा अमल अंजाम दिया?

जवाब: 1) जी हाँ! रसूले ख़ुदा (स) की एकलौती बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा (स.अ) ने अपने वालिद

1 मुसतदरके हाकिम, जिल्द 4, पेज 560

(स) की क़ब्रे मुबारक की मिट्टी उठाकर अपनी आँखों पर लगाई और चन्द अशआर पढ़े.[1]

2) सहाबी-ए-रसूल (स) अबू अय्यूब अन्सारी (र.अ) ने अपना रुख़्सार क़ब्रे पैग़म्बर (स) पर रखा.[2]

3) मुअज़्ज़िन-ए-रसूल (स) हज़रत बिलाल हबशी ने अपने को क़ब्रे पैग़म्बर (स) पर गिराया और अपना बदन उस पर मलना शुरू किया.[3]

4) अब्दुल्ला बिन उमर पैग़म्बर (स) की क़ब्रे मुबारक पर हाथ रखा करते थे.[4]

5) इब्ने मुनकर रताबई अपना रुख़्सार पैग़म्बर (स) की क़ब्रे मुबारक पर रखा करते और कहते: मुझे जब कोई मुश्किल पेश आती या किसी को भूल जाता या

---

1 इरशादुस्सारी, जिल्द 3, पेज 352

2 मुसतदरके हाकिम, जिल्द 4, पेज 560 / वफ़ा अल वफ़ा, जिल्द 4, पेज 1404

3 सीयरु आलामिन नुबला, जिल्द 1, पेज 358 / उसदुल ग़ाबा, जिल्द 1, पेज 208

4 शर्हे अल शिफ़ा, जिल्द 2, पेज 199

ज़बान में लुकनत पैदा होती तो क़ब्रे पैग़म्बर (स) से शिफ़ा और मदद तलब करता.[1]

सवाल नंबर 3: क्या मज़हब-ए-अरबाअ (चार मज़हब) के उलमा तबर्रुक, मिम्बरे मुबारक, क़ब्रे मुबारक, या दीगर औलिया-ए-ख़ुदा की क़ब्रों को मस करने को जाएज़ समझते हैं?

जवाब: जी हाँ! अहले सुन्नत के इमाम अहमद बिन हंबल, रमली शाफ़ई, मुहिबुद्दीन तबरी, अबुल सैफ़ यमानी मक्का-ए-मुकर्रमा का मारुफ़ आलीमे दीन, ज़रक़ानी मालिकी, अज़ामी शाफ़ई, और दीगर उलमा ने इस सिलसिले में फ़रमाया:

1) अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हंबल कहते हैं: मैंने अपने वालिद से सवाल किया कि मिम्बर-ए-रसूल (स) को तबर्रुक के तौर पर मस करना और उस को चूमना या क़ब्रे मुबारक को तबर्रुक के तौर पर मस करना

1 सीयरु आलामिन नुबला, जिल्द 3, पेज 213

और सवाब की नियत से उसे चूमना क्या हुक्म रखता है तो उन्होंने फ़रमाया: इस में कोई ऐब नहीं है.[1]

2) रमली शाफ़ई कहते हैं: पैग़म्बर (स) की क़ब्रे मुबारक या किसी आलिम व वली उल्लाह की क़ब्र से तबर्रुक हासिल करना जाएज़ है और उस को चूमना या उस पर हाथ मलना कोई इश्काल नहीं रखता.[2]

3) मुहिबुद्दीन तबरी शाफ़ई लिखते हैं: क़ब्र पर हाथ रखना और उसे चूमना जाएज़ है और यह उलमा व सालिहीन की सीरत रही है.[3]

4) तारीख़ में यह बात साबित है कि लोग पैग़म्बर (स) और हज़रत हम्ज़ा (र.अ) की क़ब्रे मुबारक बल्कि पूरे मदीना-ए-मुनव्वरा की ख़ाक को तबर्रुक के तौर पर उठाकर ले जाया करते. इस तरह रिवायात में भी

1 अल जामेअ फ़ील इलल व मअरफ़तिल रिजाल, जिल्द 2, पेज 32 / वफ़ा अल वफ़ा, जिल्द 4, पेज 1414

2 कुनज़ुल मतालिब, पेज 129

3 असनल मतालिब, जिल्द 1, पेज 331

बयान हुआ है कि मदीना की ख़ाक हर तरह की दर्द और जुज़ाम वग़ैरा के लिये शिफ़ा है.

ज़रकशी का कहना है: हरमैन शरिफ़ैन (मक्का और मदीना) की ख़ाक को उठाने के बारे में इन्हीं से हज़रत हम्ज़ा की तुरबत की ख़ाक को उठाने के जाएज़ होने को इसतिस्ना किया गया है इसलिए कि सरदर्द की बीमारी के लिये इस ख़ाक को उठाकर ले जाने के जाएज़ होने पर सब का इत्तेफ़ाक़ है.[1]

अबू सलमा पैग़म्बर (स) से नक़्ल करते हैं कि आप (स) ने फ़रमाया: मदीना की मिट्टी जुज़ाम के लिये शिफ़ा है.

इब्ने असीर जज़री ने पैग़म्बर (स) से नक़्ल किया है: मुझे उस ज़ात की क़सम! जिस के हाथ में मेरी जान है मदीना की गर्दओ ग़ुबार में हर बीमारी व मर्ज़ की शिफ़ा पायी जाती है.

1 वफ़ा अल वफ़ा, जिल्द 1, पेज 69

समहूदी लिखते हैं: सहाबा और दूसरे लोगों की सीरत यह थी कि क़ब्रे पैग़म्बर (स) की ख़ाक को उठाकर ले जाया करते.[1]

सवाल नंबर 4: अहले सुन्नत के अपने बड़े बुज़ुर्गों की क़ब्र से तबर्रुक हासिल करने का एक नमूना बयान करें?

जवाब: हम इस के दो नमूने बयान कर रहे हैं:

1) सहाबा-ए-रसूल (स) और हज़रत सअद बिन मआज़ की क़ब्र और उस की ख़ाक से तबर्रुक के बारे में मशहूर उलमा-ए-अहले सुन्नत इब्ने सअद और ज़हबी लिखते हैं: एक शख़्स ने सअद बिन मआज़ (र.अ) की क़ब्र से थोड़ी सी ख़ाक उठाई और उस की तरफ़ देखा तो वह अचानक मुश्क में तबदील हो गई.[2]

2) अब्दुल्ला हद्दानी की क़ब्र से तबर्रुक के बारे में अबू नईम इस्फ़हानी और इब्ने हज्र अस्क़लानी कहते

---

1 वफ़ा अल वफ़ा, जिल्द 1, पेज 544

2 तबक़ातुल कुबरा, जिल्द 3, पेज 10 / सीयरु आलामिन नुबला, जिल्द 1, पेज 289

हैं: हद्दानी 183 हिजरी, 8 ज़िलहिज्जा यौम-ए-तरविया को क़त्ल हुए लोग उन की क़ब्र की ख़ाक को मुश्क समझकर उठाकर ले जाते और उसे अपने लिबास में रखा करते.[1]

सवाल नंबर 5: क्या ग़ैरे ख़ुदा से हाजत तलब करना जाएज़ है?

जवाब: अगर कोई शख़्स कहे कि या रसूल अल्लाह! मेरी हाजत पूरी फ़रमाए और उस का मक़सद रिसालत माब (स) को वासता क़रार देना होता है कि उस की दुआ क़ुबूल हो तो उस में कोई इश्काल नज़र नहीं आता, हमारे पास बहुत सी क़ुरआनी आयात मौजूद हैं जिन में ख़ुदावन्दे करीम फ़ेल के सादिर होने को बज़ाहिर अपने बन्दो की तरफ़ निसबत दे रहा है.

1 हिलयतुल औलीया, जिल्द 2, पेज 258 / तहज़ीबुल तहज़ीब, जिल्द 5, पेज 310 / इसी तरह बुख़ारी और इब्ने तैमीया की क़ब्र के बारे में भी इसी तरह के अक़वाल नक़्ल हुए हैं. मज़ीद मालूमात के लिए: तबक़ातुश्शाफ़ईया, जिल्द 2, पेज 233 / सीयरु आलामिन नुबला, जिल्द 12, पेज 468 / अल बिदाया वल निहाया, जिल्द 14, पेज 136 देखे.

1) और न दो बेअक़्लों को अपने माल जो अल्लाह ने तुम्हारे लिये सहारा (गुज़रान का ज़रीया) बनाया है उन्हें उस से खिलाते और पहनाते रहो, और कहो उन से मअरूफ़ बात.[1]

2) और उन्होंने बदला न दिया मगर कि अल्लाह और उस के रसूल (स) ने उन्हें अपने फ़ज़्ल से ग़नी कर दिया...[2]

3) ...अब हमें देगा अल्लाह अपने फ़ज़्ल से और उस का रसूल (स), बेशक हम अल्लाह की तरफ़ रग़बत रखते हैं.[3]

अगरचे बे नियाज़ी सिफ़ते ख़ुदा है लेकिन इन आयातों में ख़ुदावन्दे करीम ने पैग़म्बर (स) और मोमिनीन को रिज़्क़ के देने और बे नियाज़ी में शरीक़ क़रार दिया है, इस के अलावा सहाबा को जब भी

1 सूरए निसा, आयत नंबर 5

2 सूरए तौबा, आयत नंबर 74

3 सूरए तौबा, आयत नंबर 59

मुश्किल पेश आती तो वह क़ब्रे पैग़म्बर (स) से मुतवस्सिल होते.

अस्क़लानी कहते हैं: हज़रत उमर की ख़िलाफ़त के ज़माने में लोग क़हत साली (ख़ुश्क साली) का शिकार हुए तो एक शख़्स ने पैग़म्बर (स) की क़ब्र पर जाकर कहा: या रसूल अल्लाह! अपनी उम्मत को सीराब फ़रमाए, वह हलाक हो रही है.[1] इसी तरह अहले सुन्नत की बुज़ुर्ग शख़्सियात इब्ने हबान, इब्ने ख़ुज़ैमा, और शेख़ुल हनाबला अबू अली ख़िलाल मुश्किल के वक़्त अहले बैत (अ.स) की क़ब्रों से मुतवस्सिल हुआ करते थे.

A) इब्ने हबान (वफ़ात 350 हि.) किताब "अस्सक़ात" में लिखते हैं:

मैं कई बार अली इब्ने मूसा अल रज़ा (अ.स) की क़ब्र की ज़ियारत के लिये मुशर्रफ़ हुआ और जितनी मुद्दत तूस (मशहद, ईरान) में रहा, जब कभी मुझे

1 फ़तहुल बारी, जिल्द 2, पेज 557

कोई मुश्किल पेश आती तो मैं उनकी क़ब्र पर जाकर ख़ुदावन्दे करीम से हाजत तलब करता तो अलहम्दु लिल्लाह मेरी वह हाजत पूरी हो जाती. और मैंने इसे कई बार तजरुबा किया है.[1]

B) इब्ने ख़ुज़ैमा: यह बुख़ारी और मुस्लिम के उस्ताद और शेख़ुल इस्लाम के लक़ब से मशहूरओ मअरुफ़ हैं इन के एक शार्गिद मुहम्मद बिन मोअमल कहते हैं: मैं अपने उस्ताद इब्ने ख़ुज़ैमा और दीगर उस्तादों के साथ अली इब्ने मूसा अल रज़ा (अ.स) की ज़ियारत के लिये तूस (मशहद) गया मेरे उस्ताद इब्ने ख़ुज़ैमा ने क़ब्र के बराबर रुक कर इस क़दर तवाज़ोअ का इज़हार किया कि सब तअज्जुब करने लगे.[2]

1 किताब अस्सक़ात, जिल्द 8, पेज 456

2 तहज़ीबुल तहज़ीब, जिल्द 7, पेज 339

C) शेख़ अल हनाबला अबू अली ख़िलाल कहते हैं: मुझे जब भी कोई मुश्किल पेश आती है तो मैं अली इब्ने मूसा अल रज़ा (अ.स) की क़ब्र की ज़ियारत करता हूँ और उन से मुतवस्सिल होता हूँ तो ख़ुदावन्दे करीम मेरी मुश्किल हल कर देता है.[1]

D) मुहम्मद बिन इद्रीस शाफ़ई क़ब्रे इमाम अबू हनीफ़ा और अहमद बिन हंबल, क़ब्रे शाफ़ई पर मुतवस्सिल हुआ करते थे.[2]

E) मुसलमान हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (र.अ) की क़ब्र पर मुतवस्सिल हो कर बाराने रहमत की दुआ किया करते.[3]

1 तारीख़े बगदाद, जिल्द 1, पेज 120

2 मनाक़ब अबू हनीफ़ा, जिल्द 2, पेज 199

3 मुसतदरके हाकिम, जिल्द 3, पेज 518

F) इब्ने ख़लकान और ज़हबी कहते हैं: लोग तलबे बारान (बारीश) के लिये इब्ने फ़ौरक इस्फ़हानी (वफ़ात 406 हि.) की क़ब्र से मुतवस्सिल हुआ करते.[1]

अहम तरीन नुक़्ता यह है कि अहले सुन्नत के उलमा ने सराहतन (साफ़ तौर से) लोगों को तवस्सुल और इस्तेग़ासा की तशवीक़ (हिम्मत) दिलाई है.

क़स्तलानी कहते हैं: ज़ाएर के लिये सज़ावार यह है कि वह क़ब्रे पैग़म्बर (स) के किनारे खड़ा होकर बेताबी से इस्तेग़ासा व तवस्सुल करे और शिफ़ाअत तलब करे ख़ुदावन्दे करीम उस के हक़ में शिफ़ाअते पैग़म्बर (स) को क़ुबूल करेगा.[2]

---

1 वफ़ियात अल आयान, जिल्द 4, पेज 272 / सीयरु आलामिन नुबला, जिल्द 17, पेज 215 / इसी तरह बुख़ारी से मुतअल्लिक़ भी नक़्ल हुआ है. इस के लिये: तबक़ातुश्शाफ़ईया, जिल्द 12, पेज 469 और जिल्द 2, पेज 234 पर रुजूअ करें.

2 अल मवाहिबुद्दिनिया, जिल्द 3, पेज 417

सवाल नंबर 6: क़ब्र की ज़ियारत जायज़ होने की कौन सी दलील मौजूद है?

जवाब: इस सवाल के जवाब में क़ुरआन व सुन्नत और सीरते सहाबा में से हर एक से दलील बयान की जा सकती है:

पहली दलील: क़ुरआन

ख़ुदावन्दे करीम फ़रमाता है: "और काश जब उन लोगों ने अपने नफ़्स पर ज़ुल्म किया था तो आप के पास आते और ख़ुद भी अपने गुनाहों के लिये इस्तेग़फ़ार करते और रसूल (स) भी उन के हक़ में इस्तेग़फ़ार करते तो यह ख़ुदा को बड़ा ही तौबा क़ुबूल करने वाला और मेहरबान पाते.[1]

यह आयत पैग़म्बर (स) की ज़िन्दगी में और ज़िन्दगी के बाद भी मुसलमानों को आप (स) की क़ब्रे मुबारक की ज़ियारत की तरग़ीब (तवज्जो) दिला रही है.

1 सूरए निसा, आयत नंबर 64

जैसा कि मशहूर अहले सुन्नत के आलिम जनाब सबकी ने लिखा है: उलमा ने इस आयत से उमूम (ज़िन्दगी और मौत के बाद) का इस्तेफ़ादा किया है चूँकि अहादीस मुबारक में पैग़म्बर (स) से नक़्ल हुआ है कि आप (स) ने फ़रमाया:

मेरी ज़िन्दगी और मौत दोनों तुम्हारे लिये बेहतर हैं तुम्हारे आमाल मेरे सामने पेश किये जाते हैं...[1]

दूसरी दलील: सुन्नते पैग़म्बर (स)

बहुतसी अहादीस मुबारक में आप (स) की क़ब्रे मुबारक की ज़ियारत करने का हुक्म दिया गया है जिन में से एक यह है:

"जिस ने मेरी क़ब्र की ज़ियारत की उस के लिये मेरी शिफ़ाअत वाजीब हो गयी.[2]

1 तरह अल तसरीब, पेज 297

2 अल सुननुल कुबरा, जिल्द 5, पेज 245

तीसरी दलील: सीरते सहाबा

अहले सुन्नत के मशहूर उलमा अब्दुल रज़्ज़ाक़, बैहक़ी और इब्ने अब्दुल बर्र ने रिवायत नक़्ल की है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा (स.अ) हर जुमा की रात को अपने चचा हज़रत हम्ज़ा (र.अ) की क़ब्र पर जातीं वहाँ पर नमाज़ अदा करतीं और गिरया किया करतीं.

हाकिमे नीशापूरी कहते है: इस रिवायत के सिलसिले में तमाम रावी सिक़ा (सच्चे) हैं.[1]

1 मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़, जिल्द 3, पेज 572 / अल सुननुल कुबरा, जिल्द 4, पेज 131 / तमहीद शर्हे मौता, जिल्द 3, पेज 234 / शफ़ाअस्सक़ाम, पेज 144 और वफ़ा अल वफ़ा, जिल्द 4, पेज 1340 पर नक़्ल हुआ है कि हज़रत उमर और अब्दुल्ला बिन उमर सफ़र से वापसी पर पैग़म्बर (स) की ज़ियारत करने जाते.

सवाल नंबर 7: क्या यह हदीस ((ला तशुद्दा अल रेहाल इल्ला इला सलासति मसाजिद)) क़ब्रों पर जाने से मना नहीं कर रही?

जवाब: नहीं! यह हदीस इस मतलब पर दलालत नहीं कर रही और इस की दलील नीचे बयान की जा रही है:

A) क़स्तलानी ने ताकीद की है कि यहाँ पर "मुस तस ना मिन" लफ़्ज़ (मस्जिद) है लिहाज़ा इस का क़ब्र की ज़ियारत की नियत से सफ़र करने का हराम होने से दूर का भी तअल्लुक़ नहीं है.[1]

B) इस हदीस पर अमल करना मुम्किन ही नहीं है इसलिए कि अगर इस के मत्न को सही मान भी लिया जाये तो भी यह पैग़म्बर (स) के वाज़ेह अमल की मुख़ालिफ़ है. चूँकि आप हज़रत (स) हर हफ़्ते (शनिवार) के दिन मस्जिदे क़ुबा तशरीफ़ ले जाया करते, जबकि हदीस यह बयान कर रही कि तीन

1 इरशादुस्सारी फ़ी शर्हे अल सहीह बुख़ारी, जिल्द 2, पेज 332

मसाजिदों के अलावा किसी और मस्जिद की तरफ़ सफ़र करना हराम है.

C) सहाबी-ए-पैग़म्बर (स) हज़रत बिलाल (र.अ) का शाम (सिरिया) से क़ब्रे पैग़म्बर (स) की ज़ियारत की नियत से मदीना सफ़र करने का वाक़ेआ मशहूर है.

D) शिया और सुन्नी उलमा ने पैग़म्बर (स) की क़ब्रे मुबारक की ज़ियारत की नियत से सफ़र करने को जाएज़ क़रार दिया है और इब्ने तैमीया के इस नज़रीये को सख़्ती से रद्द कर दिया कि क़ब्रे मुबारक की नियत से सफ़र करना हराम है.

1) क़स्तलानी कहते हैं: इब्ने तैमीया से नक़्ल किये जाने वाले क़ौल में से बदतरीन क़ौल उस का पैग़म्बर (स) की ज़ियारत से मना करना है.[1]

2) इमाम ग़ज़ाली कहते है: जो शख़्स पैग़म्बर (स) की हयाते मुबारक में उन से मुतबर्रिक होता था वह आप (स) की रहलत के बाद आप (स) की क़ब्र की

1 इरशादुस्सारी, जिल्द 2, पेज 329

ज़ियारत से मुतबर्रिक हो सकता है और क़ब्रे मुबारक की ज़ियारत की नियत से सफ़र करना जाएज़ है.[1]

E) शिया व सुन्नी मोतबर किताबों में ऐसी हदीसे बयान हुई हैं जो क़ब्रों पर जाने की ताकीद कर रही हैं जैसा कि यह रिवायत:

पैग़म्बर (स) ने फ़रमाया: ((नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर अला फ़ज़ूरूहा))

“मैंने तुम्हें क़ब्रों पर जाने से रोका था लेकिन अब तुम उन की ज़ियारत किया करो”.[2]

सब अहले सुन्नत के उलमा ने इस हदीसे मुबारक में लफ़्ज़ (फ़ज़ूरूहा) से इस्तेहबाब (मुस्तहब) का माना समझा है जबकि इब्ने हज़्म ने इस से मुराद वजूब (वाजीब) लिया है.[3]

1 अहया अल उलूम, जिल्द 1, पेज 258

2 सहीह मुस्लिम, जिल्द 3, पेज 65

3 अल ताज अल जामेअ लिल उसूल, जिल्द 1, पेज 381

सवाल नंबर 8: क्या इस हदीस ((अल्लाह की लानत हो उन औरतों पर जो क़ब्रों की ज़ियारत करती है)) के बा वजूद औरतें क़ब्रों पर जा सकती हैं?

जवाब: इस सवाल का जवाब इस तरह दिया जा सकता है:

A) बहुतसी हदीसो में आया है कि हज़रत आयेशा और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा (स.अ) क़ब्रों पर जाया करती थी जैसा कि "अल सुननुल कुबरा" किताब में ज़िक्र हुआ:

हज़रत फ़ातिमा ज़हरा (स.अ) हर जुमा की रात को अपने चचा हज़रत हम्ज़ा (र.अ) की क़ब्र पर जातीं वहाँ पर नमाज़ अदा करतीं और गिरया किया करतीं.[1]

इब्ने अबी मलीका कहते हैं: मैंने हज़रत आयेशा को देखा कि वह अपने भाई अब्दुल रहमान बिन अबू बकर की क़ब्र की ज़ियारत कर रही हैं... वह हबशा

1 अल सुननुल कुबरा, जिल्द 4, पेज 132 / मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़, जिल्द 3, पेज 572

(मक्का के क़रीब एक जगह का नाम है) में मरे और मक्का में दफ़न किये गये.[1]

B) यह हदीस बुरैदा की हदीस से नक़्ल की हुई हदीस से नस्ख़ है या इस से मुतआरिज़ (मुख़ालिफ़) है जैसा कि ज़हबी और हाकिमे नीशापूरी ने इस को सराहतन बयान किया है, और हदीसे बुरैदा यह है: हज़रत पैग़म्बर (स) ने क़ब्रों पर जाने से मना फ़रमाया और फिर उन की ज़ियारत का हुक्म दिया.[2]

C) अहले सुन्नत उलमा ने इस तरह फ़तवा दिया है कि औरतों का क़ब्रों की ज़ियारत के लिये जाना मुस्तहब है.

इब्ने आबिदीन कहते हैं: क्या औरतों का क़ब्रे पैग़म्बर (स) की ज़ियारत करना मुस्तहब है? हमारे मज़हब के मुताबिक़ सहीह क़ौल वही है जिसे जनाब

1 मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़, जिल्द 3, पेज 570 / मुअज्जमुल बुलदान, जिल्द 2, पेज 214

2 अल सुननुल कुबरा, जिल्द 3, पेज 570 / मुसतदरके हाकिम, जिल्द 1, पेज 374

करख़ी और दीगर ने बयान किया है कि क़ब्रों की ज़ियारत में मर्द और औरतों सब को इजाज़त दी गई है.[1].....

D) यह हदीस जिस में क़ब्रों की ज़ियारत से मना किया गया तीन वासतों से नक़्ल हुई है जो तीनों के तीनों ज़ईफ़ (झूठे) हैं. पहले सिलसिले सनद में इब्ने ख़ुसैम है जिस की पेश की गई हदीसों से दलीले नहीं दी जाती.[2]

दूसरे सिलसिले सनद में बाज़ान है इसी तरह इस की हदीस की भी पर्वा नहीं की जाती.[3]

तीसरे सिलसिले सनद में उमर बिन अबी सलमा है जो ज़ईफ़ है.[4]

---

1 रद्दुल मुख़्तार, जिल्द 2, पेज 263 / अल मवाहिब अल लदुन्निया, जिल्द 3, पेज 405

2 मीज़ानुल एअतेदाल, जिल्द 2, पेज 459

3 तहज़ीबुल कमाल, जिल्द 4, पेज 6

4 सीयरु आलामिन नुबला, जिल्द 6, पेज 33

सवाल नंबर 9: क्या अम्बिया अलैहिस्सलाम और औलिया-ए-किराम की क़ब्रों के पास खड़े होकर नमाज़ पढ़ना या दुआ करना जाएज़ है?

जवाब: 1) सूरे निसा की आयत नं. 64 शरिफ़ ((...और यह लोग जब उन्हों ने अपनी जानों पर ज़ुल्म किया था अगर वह आप (स) के पास आते, फिर अल्लाह से बख़्शिश चाहते और उन के लिये रसूल अल्लाह (स) से मग़फ़िरत चाहते तो वह ज़रूर पाते, अल्लाह तो तौबा क़ुबूल करने वाला मेहरबान है.)) में क़ब्र पैग़म्बर (स) के पास खड़ा होकर दुआ मांगने का रुजहान पाया जा रहा है चूँकि आयत में लफ़्ज़ (जाऊका) आप (स) की ज़िन्दगी और उस के बाद दोनों सूरतों को शामिल है.

2) हज़रत फ़ातिमा ज़हरा (स.अ) का हज़रत हम्ज़ा (र.अ) की क़ब्र के पास जाकर नमाज़ पढ़ना ख़ुद इस के जाएज़ होने की दलील है और हाकिमे नीशापूरी के

बक़ौल इस हदीस के तमाम तर रावी सिक़ा (सच्चे) हैं.[1]

3) मुसलमानों की सीरत यह रही है कि वह अम्बिया अलैहिस्सलाम और औलिया की क़ब्रों पर जाकर दुआ भी किया करते और उन के पास खड़े होकर नमाज़ भी अदा किया करते:

A) इब्ने ख़लकान कहते हैं: सय्यदा नफ़ीसा बिन्ते हसन बिन ज़ैद बिन हसन बिन हज़रत अली (अ.स) को मिस्र की राजधानी क़ाहिरा के एक मुहल्ले (दरबुस्सेबाअ) में दफ़्न किया गया और उन की क़ब्र दुआओं की क़ुबूल होने के लिहाज़ से मशहूर और तजरुबा शुदा है.[2]

B) इसी तरह अहले सुन्नत के इमाम शाफ़ई हमेशा इमाम अबू हनीफ़ा की क़ब्र पर जाकर दो रकअत नमाज़ अदा किया करते.[3]

---

1 मुसतदरके हाकिम, जिल्द 1, पेज 377

2 वफ़ीयातुल आयान, जिल्द 5, पेज 424

3 तारीख़े बग़दाद, जिल्द 1, पेज 123

C) ज़ोहरी ने भी मशहूर आलिम करख़ी की क़ब्र के किनारे दुआ करने के बारे में कुछ मतालिब ज़िक्र किये हैं.[1]

D) इसी तरह जज़री ने भी इमाम शाफ़ई की क़ब्र से मुतअल्लिक़ कुछ मतालिब ज़िक्र किये हैं.[2]

सवाल नंबर 10: क्या यह हदीस ((ख़ुदा लानत करे यहूदियों पर कि उन्होंने अपने बड़ों की क़ब्रों को मस्जिद बना लिया)) इसी तरह यह हदीस ((परवरदिगार! मेरी क़ब्र को बुत क़रार ना देना))[3] क़ब्रे पैग़म्बर (स) और दूसरे क़ब्रों के पास नमाज़ पढ़ने या दुआ मांगने से मना नहीं कर रही?

जवाब: इस सवाल का जवाब भी चन्द नुकात में अर्ज़ किया जा सकता है:

---

1 सीयरु आलामिन नुबला, जिल्द 9, पेज 343

2 अल जवाहिरुल मुज़िया, जिल्द 1, पेज 461

3 मुसनदुल अहमद, जिल्द 2, पेज 246 / अल मवत्ता, जिल्द 1, पेज 172

A) इस हदीस के रावी ज़ईफ़ (झूठे और ना काबिले एतेमाद) और मजहूल हैं मिसाल के तौर पर (अब्दुल वारिस) यह रावी अहले सुन्नत के उलमा के यहाँ रद्द किया हुआ है चूँकि यह फिरक़-ए-क़दरिया का पैरोकार था. इसी तरह (अबू सालेह) के बारे में भी शक पाया जाता है कि वह ज़ईफ़ (झूठा) था या सिक़ा (सच्चा) और अब्दुल्ला बिन उस्मान मुनकिरे अहादीस को नक़्ल किया करता और फिर (इब्ने बहमान) मजहूलुल हाल (क़ुबूल नही) है इस बिना पर इस हदीस से इस्तेदलाल नहीं किया जा सकता.

B) यह हदीस किसी सूरत में क़ब्र के पास नमाज़ पढ़ने से नहीं रोक रही इस लिये कि इस का मौज़ू हबशा का कुन्नीया है कि जब मुशरिकीने यहूद का कोई नेक शख़्स मरता तो वह उस क़ब्र पर मस्जिद बनाते और उस पर उस की तस्वीर रखकर उसे सजदा किया करते, लिहाज़ा क़ब्र के पास खड़े होकर क़िबला की तरफ़ रुख करते हुए ख़ुदावन्दे करीम की इबादत करने और किसी शख़्स को ख़ुदा का शरीक क़रार देकर

उस की इबादत करने में फ़र्क़ है, फिर इस हदीस से इस मौज़ू पर इस्तेदलाल नहीं किया जा सकता.

अहले सुन्नत के अज़ीम मुफ़स्सिरे क़ुरआन क़ुरतुबी लिखते हैं: उन्होंने अपने बड़ों की तस्वीरें बना रखी थी ताकि उन से उन्स (मुहब्बत) हासिल कर सकें और उन की याद ताज़ा रहे. वह उन की क़ब्रों के पास ख़ुदा की इबादत किया करते लेकिन उन के बाद आने वालों ने उन के मक़सद को भूला डाला और शैतान ने उन के दिल में वसवसा इजाद किया कि उन के अजदाद (पुरखें) उन तस्वीरों की इबादत और उन की ताज़ीम किया करते थे लिहाज़ा पैग़म्बर (स) ने उन्हें इस से मना किया.[1]

इस बिना पर इस हदीस में औलिया अल्लाह की क़ब्र के पास नमाज़ ना पढ़ने पर कोई दलालत नहीं पायी जाती.

1 इरशादुस्सारी, जिल्द 3, पेज 498

बैज़ावी कहते हैं: क्योंकि यहूद व नसारा अपने अम्बिया की क़ब्रों पर सजदा करते, उसे अपना क़िबला क़रार देते और उन से वही रूया (हालत) इख़्तियार करते जो बुतों से किया जाता लिहाज़ा पैग़म्बर (स) ने उन पर लानत फ़रमाई.[1]

इस इबारत में भी पैग़म्बर (स) या अइम्म-ए-ताहेरीन अलैहिस्स्लाम की क़ब्रों की ज़ियारत ना करने या उन के पास नमाज़ ना पढ़ने पर किसी क़िस्म की कोई दलील नहीं पायी जाती.

C) बहुत से उलमा-ए-अहले सुन्नत ने मक़बरों में नमाज़ अदा करने को जाएज़ क़रार दिया है जिन में इमाम मालिक बिन अनस भी हैं:

1) मालिक बिन अनस कहते हैं: मक़बरों में नमाज़ पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं है और कहा कि मुझ तक

1 इरशादुस्सारी, जिल्द 3, पेज 479

यह ख़बर पहुँची है कि बाज़ सहाबा-ए-किराम क़ब्रस्तान में नमाज़ अदा किया करते थे.[1]

2) अब्दुल ग़नी नाबलुसी कहते हैं: अगर क़ब्रों की जगह मस्जिद में तबदिल हो जाये या वह क़ब्र रास्ते में वाक़ेअ हो या औलिया अल्लाह व उलमा-ए-मुहक़्क़िक़ीन में से किसी की क़ब्र हो तो उस वली उल्लाह की रुह को जिन्दा रखने के लिये लोग उस से तबर्रुक हासिल करें और उस क़ब्र के पास ख़ुदा से दुआ करें ताकि उन की दुआ क़ुबूल हो तो उस में कोई माना नहीं बल्कि जाएज़ भी है.[2]

सवाल नंबर 11: क्या इस्लामी शरीयत में क़ब्रों पर गुम्बद और ज़रीह वग़ैरा बनाने से मना किया गया है?

जवाब: शरीयते मुक़द्दस-ए-इस्लाम में इस क़िस्म का कोई हुक्म दिखाई नहीं देता और इस की चन्द एक दलीलें ज़िक्र की जा रहीं हैं:

---

1 अल मुदव्वनातुल कुबरा, जिल्द 1, पेज 479

2 अल हदीक़तुल नदीया, जिल्द 2, पेज 630

A) क़ब्रों पर गुम्बद बनाने को हराम क़रार देने वाली दलील सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रिवायत है जिसे अबुल हय्याज ने नक़्ल किया है.[1] और यह रिवायत सनद की एतेबार से सहीह नहीं है. इसलिए कि वकिअ और हबीब बिन अबी साबित इस रिवायत की सनद में मौजूद हैं जिन दोनों की अहले सुन्नत के यहाँ कोई अहमियत नहीं है.

B) इस हदीस की दलालत में भी इश्काल पाया जाता है चूँकि ((व ला क़ब्रन इल्ला सव्वैतहु)) का माना क़ब्रों को ख़राब करना नहीं है बल्कि उन्हें मुसत्तह (बराबर) करना है ताकि वह उँट की कोहान (पीठ) के मानिन्द ना हों.

क़स्तलानी कहते हैं: सुन्नत तो यह है कि क़ब्रों को मुसत्तह (बराबर) बनाया जाये और उसे शिओं का शआर (निशानी) होने की वजह से तर्क करना जाएज़ नहीं है. इसी तरह क़ब्रों को मुसत्तह (बराबर) बनाने और रिवायत इब्ने हय्याज में कोई मुनाफ़ात (मुश्किल)

1 सहीह मुस्लिम, जिल्द 3, पेज 61

नहीं पायी जाती. इसलिए इस रिवायत से मुराद क़ब्रों को ज़मीन के बराबर करना नहीं है बल्कि उन्हें उँट की कोहान (पीठ) की तरहा बुलन्द बनाना मुराद है और यह मतलब हमने रिवायत को जमा करने के बाद हासिल किया है.[1]

C) मुसलमानों की सीरत यही रही है कि क़ब्रों पर गुम्बद और मक़बरे बनाया करते:

1) पैग़म्बर (स) की क़ब्र मुबारक पर हुजरे का बनाया जाना.

2) मदीना-ए-मुनव्वरा के जन्नतुल बक़ीअ में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा (स.अ) और अइम्म-ए-अहलेबैत (अ.स) की क़ब्रों पर मक़बरों का पाया जाना जिन्हें 8 शव्वाल 1345 हिजरी में वहाबियों ने ख़राब व मिसमार कर दिया.

1 इरशादुस्सारी, जिल्द 2, पेज 468

3) पैग़म्बर (स) के साहब ज़ादेह इब्राहीम की क़ब्र जो कि मुहम्मद बिन ज़ैद बिन अली के घर में थी और बाद में वहाबियों ने ख़राब व मिसमार कर दी.

4) दूसरी सदी हिजरी में हज़रत हम्ज़ा (अ.स) की क़ब्र पर मस्जिद का बनाया जाना जिसे वहाबियों ने वीरान कर दिया.

5) उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने में हज़रत सअद बिन मआज़ की क़ब्र पर गुम्बद का बनाया जाना जो कि इब्ने अफ़लाह के घर में थी.[1]

6) 275 हिजरी में बसरा में बाहुली की क़ब्र पर गुम्बद का बनाया जाना.[2]

7) दूसरी सदी हिजरी में इराक़ के नजफ़ शहर में हज़रत अली (अ.स) की क़ब्र पर इमारत का बनाया जाना.[3]

---

1 वफ़ा अल वफ़ा, जिल्द 2, पेज 545

2 सीयरु आलामिन नुबला, जिल्द 13, पेज 285

3 मौसूअतुल अतबात, जिल्द 6, पेज 97

8) जनाबे सलमान फ़ारसी (र.अ) की क़ब्र पर इमारत का बनाया जाना.[1]

9) 316 हिजरी में अबू अवाना की क़ब्र पर इमारत की तामीर किया जाना.[2]

ख़ुलासा यह कि तमाम मुसलमानों की यह सीरत रही है कि वह बुज़ुर्गाने दीन की क़ब्रों पर रौज़े और मक़बरे बनाया करते और यह सीरत आज भी बाक़ी है. जिस की दलील करबला व नजफ़ और मशहद में अइम्म-ए-अहलबैत (अ.स) के रौज़ों का पाया जाना और बग़दाद में जनाबे अबू हनीफ़ा और जनाबे अब्दुल क़ादिर जीलानी के रौज़े, उज़बेकिस्तान के शहर समरकन्द में जनाबे बुख़ारी का रौज़ा या इसी तरह तमाम इस्लामी मुल्कों में औलिया-ए-इलाही की क़ब्रों पर रौज़ों का मौजूद होना हमारे दावे की दलील है. लेकिन वहाबियों ने हिजाज़ (सौदी अरब) में इसे हराम क़रार दिया और तमाम औलिया व सहाबा-ए-किराम

1 तारीख़े बग़दाद, जिल्द 1, पेज 163

2 सीयरु आलामिन नुबला, जिल्द 14, पेज 419

की क़ब्रों पर मौजूद रौज़ों को गिराकर सीरते मुस्लिमीन की मुख़ालिफ़त की.

सवाल नंबर 12: क्या यह हदीस ((पैग़म्बर (स) ने क़ब्रों को पक्की बना कर उस पर इमारत बनाने से मना किया है))[1] रौज़ों को बनाने से मना नहीं कर रहीं है?

जवाब: पहली बात तो यह है कि यह हदीस सीरते मुसलमानों की मुख़ालिफ़ है जैसा कि बयान किया जा चुका.

दूसरा यह कि इस हदीस की सनद में भी मुश्किल पायी जाती है क्योंकि इस की सनद में अबू ज़ुबैर मुहम्मद बिन मुस्लिम आमदी है जिसे उलमा-ए-अहले सुन्नत अहमद बिन हंबल, इब्ने ऐयीने, शोअबा और अबू हातिम ने ज़ईफ़ (झूठा) क़रार दिया है.[2]

इसी तरह इस रिवायत की सनद में हफ़्स बिन ग़यास है जिस के बारे में अहले सुन्नत के उलमा की

1 सहीह मुस्लिम, जिल्द 3, पेज 63

2 तहज़ीबुल कमाल, जिल्द 26, पेज 407

राय मनफ़ी (विरोधी) है कि यह याक़ूब बिन शैबा का कहना है.[1] और इस रिवायत की सनद में रबीया नामी शख़्स मौजूद है जिस की अज़दी, इब्ने अबी शैबा और साजी ने ताईद (प्रमाणित) नहीं की है.[2]

नतीजा यह कि इस तरह की तमाम तर रिवायात की सनद में अहले सुन्नत के नजदीक मुश्किल पायी जाती है लिहाज़ा उन रिवायात से इस्तेदलाल करना सही नहीं है.[3]

सवाल नंबर 13: क्या क़ब्रों पर चिराग़ वग़ैरा का रौशन करना शरई तौर पर मना है?

जवाब: शरियत मुक़द्दस में इस से मना नहीं किया गया हैं जिस की दलीलें ज़िक्र कर रहे हैं:

---

1 तहज़ीबुल तहज़ीब, जिल्द 2, पेज 360 / तारीख़े बग़दाद, जिल्द 8, पेज 199 / सीयरु आलामिन नुबला, जिल्द 9, पेज 31

2 तहज़ीबुल तहज़ीब, जिल्द 9, पेज 143 / मीज़ानुल एतेदाल, जिल्द 3, पेज 545 / तहज़ीबुल कमाल, जिल्द 18, पेज 83

3 अल वहाबिया दआवा व रुदूद, पेज 182 पर देखे.

1) अहले सुन्नत के उलमा से नक़्ल हुई अहादीस के मुताबिक़ एक रात पैग़म्बर (स) ने क़ब्रस्तान जाना चाहा तो चिराग़ रौशन करने का हुक्म दिया.[1]

2) मुसलमानों की सीरत यह रही है कि सहाबा-ए-किराम और औलिया-ए-इलाही की क़ब्रों पर चिराग़ रौशन किया करते.

A) चौथीं सदी हिजरी में हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी की क़ब्र पर चिराग़ मौजूद था.[2]

B) चौथीं सदी हिजरी में ज़ुबैर बिन अवाम की क़ब्र पर क़न्दील का पाया जाना.[3]

C) इमाम मूसा काज़िम (अ.स) की क़ब्र मुबारक पर पांचवीं सदी में क़न्दील का मौजूद होना.[4]

3) यह हदीस ((ख़ुदावन्दे करीम ने क़ब्रों पर मसाजिद तामीर करने वालों और उन पर चिराग़ रौशन

---

1 अल जामेअ अल सहीह, जिल्द 3, पेज 372

2 तारीख़े बग़दाद, जिल्द 1, पेज 154

3 अल मुन्तज़म, जिल्द 14, पेज 383

4 वफ़ियातुल आयान, जिल्द 5, पेज 310

करने वालों पर लानत फ़रमाई है.)) इस की सनद में मुश्किल पायी जाती है इसलिए कि इस का रावी अबू सालेह है जिसे अहले सुन्नत के उलमा ने ज़ईफ़ (झूठा) और ना क़ाबिले क़ुबूल क़रार दिया है. और इस हदीस की शरह बयान करने वालों ने लिखा है कि यहाँ पर "नही" से मुराद "नही इरशादी" है ना कि "नही मौलवी". जैसा कि सिन्धी, अज़ीज़ी, अली नासिफ़ और शेख़ हनफ़ी ने इस मतलब की तरफ़ इशारा किया है.[1]

सवाल नंबर 14: क्या ज़िन्दा या मुर्दा औलिया अल्लाह के लिये मन्नत मानना जाएज़ है?

जवाब: अगर मन्नत ख़ुदा के लिये मानी जाये और उस का सवाब किसी नबी, इमाम या वली अल्लाह की रूह को इसाल किया जाये जैसा कि शिया व सुन्नी मुसलमानों में राएज है तो ऐसा अमल चन्द वजूहात की बिना पर जाएज़ है:

1 शर्हे अल जामेअ अल सुग़रा, जिल्द 3, पेज 198 / सुननु निसाई, जिल्द 4, पेज 95 / अल ताज, जिल्द 1, पेज 381

A) अहले सुन्नत के यहाँ ऐसी हदीसें नक़्ल हुई हैं जो इस अमल को जाएज़ क़रार देती है:

साबित बिन ज़हाक से रिवायत है कि एक शख़्स पैग़म्बर (स) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और सवाल किया: मैंने मन्नत मानी है कि बवाने के मक़ाम पर एक दुम्बा (बकरा) ज़िबह करुं, क्या मेरी यह मन्नत सही है? पैग़म्बर (स) ने फ़रमाया: क्या ज़माना-ए-जाहिलियत में इस मक़ाम पर किसी बुत की पूजा की जाती थी? लोगों ने अर्ज़ किया नहीं. तब पैग़म्बर (स) ने फ़रमाया: अपनी मन्नत को पूरा करो. इसलिए कि दो जगह पर मन्नत पर अमल करना जाएज़ नहीं है: 1) ख़ुदा की मअसियत (गुनाह) करके. 2) ऐसी चीज़ की नज़र करना जो उस की अपनी मिलकियत (माल) ना हो.[1]

अगर नज़र या मन्नत ज़माना-ए-जाहिलियत की मानिन्द बुतों के लिये ना हो तो इसे पूरा करना वाजिब है इसी तरह अगर ऐसे मकाम पर मन्नत मानी जाये

1 सुननुल अबू दाउद, जिल्द 3, पेज 238

जहाँ कुफ़्फ़ार ईद मनाते हैं तो ऐसी मन्नत जाएज़ नहीं है अलबत्ता अहले सुन्नत के नज़दीक उन रिवायात पर अमल करना ज़रूरी है जो उन्होंने मन्नत के ज़रूरी होने पर नक़्ल की हैं.

B) अज़ामी शाफ़ई इसी मन्नत की ताईद में कहते हैं: अगर कोई शख़्स मुसलमानों के यहाँ मानी जाने वाली मन्नतों की तहक़ीक़ करे तो वह इस नतीजे पर पहुँचेगा कि इन मन्नतों और क़ुर्बानीओं का मक़सद अपने मुर्दों के लिये सदक़ा देना और उन तक इस का सवाब पहुँचाना होता है और अहले सुन्नत का इस पर इजमा है कि जिन्दों का मुर्दों को सवाब इसाल करना उन तक पहुँचता है और उन के लिये फ़ायदेमन्द साबित होता है. इस बारे में रिवायात बहुत ज़ियादा हैं और फिर अज़ामी ने एक हदीस की तरफ़ इशारा किया है:

सअद ने पैग़म्बर (स) से सवाल किया: मेरी माँ मर चुकी हैं लेकीन मुझे यक़ीन है कि वह जिन्दा होती तो ज़रूर सदक़ा देतीं अब अगर मैं सदक़ा दूं तो क्या यह

सदक़ा उस के लिये फ़ायदेमन्द साबित होगा? इस पर पैग़म्बर (स) ने फ़रमाया: हाँ. फिर अर्ज़ किया: कौनसा सदक़ा ज़ियादा फ़ायदेमन्द होगा? पैग़म्बर (स) ने फ़रमाया: पानी. फिर सअद ने एक कुआँ खोदा और उसे अपनी माँ की तरफ़ से सदक़ा कर दिया.[1]

C) मुसलमानों के यहाँ ऐसी क़ब्रे भी थी और अब भी हैं जहाँ मन्नते मानी जाती हैं जैसा मराकिश (मोरोक्को) में हज़रत बस्ती की क़ब्र, बग़दाद में क़ब्र अल नुज़ूर, अहमद बदावी की क़ब्र.[2]

सवाल नंबर 15: अज़ादारी और जश्ने मीलादुन्नबी (स) वग़ैरा के बारे में इस्लाम का क्या नज़रिया है?

जवाब: यक़ीनन जाएज़ है और इस की दलील यह है:

1 फ़ुरक़ानुल क़ुरआन, पेज 133

2 नैलुल इबतेहाज, जिल्द 2, पेज 62 / अल मवाहिबुल दिनया, जिल्द 5, पेज 346 / तारीख़े बग़दाद, जिल्द 1, पेज 123

A) ऐसे मौरिद में अस्ल इन का जाएज़ होना है मगर यह कि उन के हराम होने पर कोई दलील पायी जाती हो.

B) क़ुरआन की वाज़ेह नस्स (स्रोत) शआएरे इलाही (अल्लाह की निशानी) की ताज़ीम का हुक्म दे रही है.

C) आज तक सीरते मुस्लिमीन यह रही कि ईदे मीलादुन्नबी (स) और उस जैसे दूसरे जश्न मनाते हैं जैसा कि क़स्तलानी और दियारे बकरी ने इस की तरफ़ इशारा किया है.[1]

D) अहले सुन्नत अवाम व ख़वास में मरने वालों का ग़म मनाना राएज रहा है और अब भी इसी तरह राएज है कि जब कोई शख़्स मरता है तो उस का सोग मनाया जाता है जैसा कि इमाम ज़हबी ने मशहूर आलिमे अहले सुन्नत जुवैनी की वफ़ात के बारे में लिखा है:

1 तारीख़े ख़मीस, जिल्द 1, पेज 323 / अल मवाहिबुल दिनया, जिल्द 1, पेज 27

बाज़ार बन्द कर दिये गये और उन के मरसिये पढ़े जाने लगे. उन के 400 शार्गिद थे जिन्होंने एक साल तक अज़ादारी की और सर से अम्मामे उतार दिये, वह पूरे शहर में नौहा और चिख़ों पुकार करते हुए उन का सोग मनाते रहे.[1]

इसी तरह अब्दुल मोमिन (वफ़ात 346 हिजरी) की तशीअ-ए-जनाज़े के बारे में लिखा है:

फ़ौज में बजाये जाने वाले तबलों की मानिन्द आवाज़ हर तरफ़ छाई हुई थी ऐसा लग रहा था जैसे किसी फ़ौज ने हमला कर दिया हो.[2]

और इब्ने जौज़ी (वफ़ात 597 हिजरी) की मौत के बारे में लिखते है:

लोगों ने रमज़ान का पूरा महीना उन की क़ब्र पर क़न्दील और चिराग़ जलाकर गुज़ार दिया कई एक बार क़ुरआन ख़त्म किये गये.... और जब हफ़्ते का

1 सीयरु आलामिन नुबला, जिल्द 8, पेज 468

2 सीयरु आलामिन नुबला, जिल्द 15, पेज 481

(शनिवार) का दिन आया तो उन के बारे में तक़रीर की गई और अज़ादारी मनाई गई. इस मजलिस में बहुत ज़ियादा लोगों ने शिरकत की और मरसिया ख़्वानी भी की गई.[1]

सवाल नंबर 16: क्या अहले सुन्नत के उलमा भी मुतआ को जाएज़ समझते हैं?

जवाब: हाँ! अहले सुन्नत के उलमा में से भी कई एक ने इसे जाएज़ ही नहीं बल्कि इस पर अमल भी किया है:

A) बुख़ारी के उस्ताद इब्ने जुरैज उमवी जिन के सिक़ा (सच्चे) होने पर अहले सुन्नत का इजमा है और तमाम सहाह-ए-सित्ता (अहले सुन्नत की 6 बड़ी सहीह किताबों) में इन से रिवायात नक़्ल की गई हैं इन्होंने 60, 70 या 90 औरतों से मुतआ किया.

ज़हबी इमामे अहले सुन्नत कहते हैं: इब्ने जुरैज अहले सुन्नत के यहाँ भरोसेमन्द शख़्स होने और उन

1 सीयरु आलामिन नुबला, जिल्द 18, पेज 379

की सच्चाई पर इजमा हैं जबकि उन्होंने 70 औरतों से अक़्दे मुवक़्क़त (मुतआ) किया और वह इसे जाएज़ समझते थे और वह मक्का में अपने ज़माने के मशहूर फ़क़ीह (मुफ़्ती) थे.[1]

B) सहाबा-ए-किराम में से हज़रत अली (अ.स), अब्दुल्ला बिन अब्बास, जाबिर बिन अब्दुल्ला अन्सारी, इमरान बिन हसीन और अबू सईद ख़ुदरी (र.अ) इस अमल को जाएज़ क़रार देते थे.

C) ख़ुद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का कहना है: पैग़म्बर (स) के ज़माने में दो चीज़ें जाएज़ थी लेकिन मैं इन्हें हराम क़रार दे रहां हूँ और इन काम के करने वालों को मै सज़ा भी दूँगा.

जैसा कि क़ूशजी ने किताब 'शरह तजरीद' के पेज नंबर 484 पर इस जुमले को नक़्ल करते हुए इस की अजीब तहलील (ख़ुलासा) बयान किया है!

1 मीज़ानुल एतेदाल, जिल्द 2, पेज 659 / तहज़ीबुल तहज़ीब, जिल्द 6, पेज 360

D) तारीख़ की मशहूर किताब “तारीख़े तबरी” में बयान हुआ है कि इस काम की रोक हज़रत उमर की तरफ़ से थी और इमरान बिन सवादा ने इस हुक्म की वजह से लोगों के बीच पाये जाने वाले एतेराज़ और नाराज़गी की ख़बर उमर को दी.[1]

E) ख़ुद हज़रत उमर ने भी कहीं पर यह नहीं कहा कि पैग़म्बर (स) ने इस से मना किया है बल्कि इन्होंने तो बड़े वाज़ेह और साफ़ अन्दाज़े में कह दिया कि: मैं इसे हराम क़रार दे रहा हूँ.

F) इस मुतआ के हराम होने के बारे में अहले सुन्नत के पास एक ही हदीस है जिसे वह सबरा नामी शख़्स से नक़्ल करते हैं जबकि इस ने मुतआ के हराम होने की हदीस के अलावा ना तो कोई हदीस नक़्ल की है और ना वह कोई मशहूर मअरूफ़ रावी है इसलिए कि किसी भी रिजाली किताब में इस का कोई ज़िक्र नहीं हुआ.

1 तारीख़े तबरी, जिल्द 2, पेज 579

सवाल नंबर 17: किसलिए शिया हज़रात हाथ बांधकर नमाज़ नहीं पढ़ते?

जवाब: A) चूँकि शिया इसे हराम समझते हैं और अहले सुन्नत में भी किसी ने इस के वाजीब होने का फ़तवा नहीं दिया. बल्कि इसे एक मुस्तहब अमल क़रार दिया है और बाज़ अहले सुन्नत के इमामों ने तो वाजीब नमाज़ों में हाथ बांधने को मकरुह क़रार दिया है. जैसा कि इमाम मालिक नमाज़ में हाथ बांधने को मकरुह समझते हैं इसी तरह तमाम सहाबा-ए-किराम हाथ खोलकर नमाज़ अदा करते थे यहाँ तक कि हज़रत उमर ने हाथ बांधने की बिदअत का आग़ाज़ किया.

अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हसन बसरी, लैस बिन सअद और इब्राहीम नख़ई वग़ैरा हाथ खोलकर ही नमाज़ अदा करते.[1]

1 इस मसले की तहक़ीक़ के लिये मज़ीद किताब (नमाज़ में हाथ खोलें या बांधें?) का मुतालिआ फ़रमाए.(मुतर्जिम)

B) चूँकि पैग़म्बर (स) ने नमाज़ में हाथ नहीं बांधे जैसा कि क़ुरतुबी कहते हैं: नमाज़ में एक हाथ का दूसरे हाथ पर रखने के बारे में उलमा में इख़्तिलाफ़ वाक़ेअ हुआ है, इमाम मालिक ने इसे वाजीब नमाज़ में मकरुह और नवाफ़िल में जाएज़ क़रार दिया है. और इस इख़्तिलाफ़ की वजह वह सहीह हदीसें हैं जिन में पैग़म्बर (स) की नमाज़ की कैफ़ियत बयान हुई है लेकिन उन में आप (स) के नमाज़ में हाथ बांधने का ज़िक्र नहीं है और दूसरी जानिब यह भी है कि लोगों को नमाज़ में हाथ बांधने का हुक्म दिया गया है.[1]

C) अहले सुन्नत के पास नमाज़ में हाथ बांधने पर सबसे अहम दलील सहीह बुख़ारी और सहीह मुस्लिम की रिवायत है:

1) सहीह बुख़ारी में है: अबू हाज़िम ने सहल बिन सअद से नक़्ल किया है कि लोगों को नमाज़ में हाथ बांधने का हुक्म दिया गया था और फिर कहते हैं:

1 बिदायतुल मुजतहिद, जिल्द 1, पेज 136

मुझे इस बात का सहीह इल्म नहीं है मगर यह कि शायद पैग़म्बर (स) ने इस का हुक्म दिया हो.[1]

नुक़्ता: ख़ुद रावी के लिये भी रौशन नहीं है कि हाथ बांधने का हुक्म देने वाला कौन था हज़रत उमर या रसूले ख़ुदा (स) या कोई और? जैसा कि ऐनी ने बुख़ारी की शरह में लिखा है कि यह हदीस मुरसल है.[2] इसी तरह जनाबे सीयूती का भी यही नज़रिया है.[3]

2) सहीह मुस्लिम में रिवायत हैं: ((अलक़मा अपने बाप वाएल से हदीस नक़्ल करता है: जब रसूले ख़ुदा (स) नमाज़ के लिये खड़े हुए तो उन्होंने अपना दाया हाथ अपने बाए हाथ पर रखा))[4]

यह रिवायत भी मुरसल है इसलिए कि अहले सुन्नत के उलमा अलक़मा की उस के बाप से नक़्ल की हुई

---

1 सहीह बुख़ारी, जिल्द 1, पेज 135

2 उमदतुल क़ारी फ़ी शर्हे सहीह अल बुख़ारी, जिल्द 5, पेज 287

3 अल तौशिह अलल जामेअल सहीह, जिल्द 1, पेज 463 / नैलुल अवतार, जिल्द 2, पेज 187

4 सहीह मुस्लिम, जिल्द 1, पेज 150

हदीस को मुरसल क़रार देते हैं जैसा कि इब्ने हज्र ने इब्ने मुईन से नक़्ल किया है.[1]

D) अहलेबैत-ए-पैग़म्बर (स) ने नमाज़ में हाथ बांधने से मना फ़रमाया है और बाज़ औक़ात तो फ़रमाया अपने हाथ मत बांधो, और कभी इस अमल को मजूस (पारसी) के अमल से ताबीर किया. बाज़ का कहना है कि नमाज़ में हाथ बांधने की बुनियाद हज़रत उमर के दौर में रखी गई.[2]

सवाल नंबर 18: नमाज़े तरावीह क्या है और किसलिए अहले सुन्नत इस की अदा करने पर इस क़दर पाबंद हैं?

जवाब: रमज़ान मुबारक में हर रात 20 या 30 रकत नवाफ़िल की बजा लाने में शिया सुन्नी में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं पाया जाता. इख़्तिलाफ़ उन नवाफ़िल की जमाअत के साथ बजा लाने में है कि क्या नाफ़िला

1 तहज़ीबुल तहज़ीब, जिल्द 7, पेज 247 / तहज़ीबुल कमाल, जिल्द 13, पेज 193

2 जवाहिरुल कलाम, जिल्द 11, पेज 19 / मिस्बाहुल बक़्क़िया, पेज 402

(सुन्नत) नमाज़ को बा जमाअत अदा करना जाएज़ है या नहीं? या यह कि पैग़म्बर (स) या सहाबा में से किसी ने इसे जमाअत के साथ अदा किया या इसे पैग़म्बर (स) के बाद इजाद किया गया? सहीह बुख़ारी की रिवायत के मुताबिक़ हज़रत उमर ने लोगों को इस नमाज़ की जमाअत अदा करने का हुक्म दिया और इसे बिदअत से ताबीर किया.

हज़रत उमर ने कहा: मेरी राय यह है कि अगर उन लोगों को एक शख़्स की इमामत पर खड़ा किया जाये तो यह बेहतर होगा. इस के बाद इरादा किया और लोगों को उबैइ बिन कअब की इमामत पर जमा किया.[1]

रावी कहता है: दूसरी शब जब बाहर निकले और देखा कि लोग जमाअत के साथ (सुन्नत) नवाफ़िल पढ़ रहे हैं तो कहा: यह कितनी अच्छी बिदअत है!

1 सहीह बुखारी, जिल्द 1, पेज 342

क़स्तलानी कहते हैं: हज़रत उमर ने नमाज़े तरावीह को बिदअत इसलिए कहा कि वह पैग़म्बर (स) के ज़माने में नहीं थी और ना ही हज़रत अबू बकर के ज़माने में पढ़ी जाती थी.[1]

ऐनी का कहना है: हज़रत उमर ने नमाज़े तरावीह को बिदअत से इसलिए ताबीर किया कि वह पैग़म्बर (स) के ज़माने में नहीं थी और ना ही हज़रत अबू बकर के ज़माने में पढ़ी जाती थी.[2]

क़लक़शन्दी का कहना है: सब से पहले शख़्स हज़रत उमर ही थे जिन्होंने पहली सदी हिजरी में नमाज़े नाफ़िला की बा जमाअत अदा करने का हुक्म दिया.[3]

यह है नमाज़े तरावीह की हक़ीक़त जिसे अहले सुन्नत की मोअतबर किताबों से बयान किया गया है. रहा सवाल इस के अदा करने पर इस क़दर पाबन्द होने का तो इस का जवाब अहले सुन्नत के उलमा ही

1 इरशादुस्सारी फ़ी शर्हे अल सहीह अल बुख़ारी, जिल्द 4, पेज 656

2 उमदतुल क़ारी फ़ी शर्हे अल सहीह अल बुख़ारी, जिल्द 11, पेज 126

3 मासिरुल इनाफ़ा फ़ी मआलमिल ख़िलाफ़ा, जिल्द 2, पेज 337

दे सकते हैं कि ऐसा अमल जिसे ख़ुद हज़रत उमर बिदअत कह रहे हैं उस पर इस क़दर सख़्ती से पाबन्द होने की वजह क्या है!!!

सवाल नंबर 19: क्या बिदअत को अच्छी और बुरी दो क़िस्मों में तक़सीम किया जा सकता है और अच्छी बिदअत से मुराद क्या है?

जवाब: अहादीस मुबारक में बयान हुआ है: हर तरह की बिदअत गुमराही है और हर गुमराही का रास्ता जहन्नम है. इस बिना पर बिदअत को अच्छी और बुरी दो क़िस्मों में तक़सीम करना हदीसे पैग़म्बर (स) की वाज़ेह तौर पर मुख़ालिफ़त करना है. यही वजह है कि बहुत से बड़े अहले सुन्नत के उलमा ने बिदअत की इस तक़सीम की मुख़ालिफ़त की है जिन में शातबी, इब्ने रजब हंबली और ग़ामदी मुहक़्क़िक़ मुआसिर हैं. वह अपनी किताब "हक़ीक़तुल बिदअत व अहकाम" में लिखते है:

अच्छी बिदअत वाला नज़रिया उन शरई दलाएल से तनाक़ुज़ (टकराव) रखता है जिन में उमूमी तौर पर

बिदअत की मज़्ज़मत (निन्दा) की गई है. इसलिए कि बिदअत की मज़्ज़मत बयान करने वाली हदीसें आम और मुतलक़ में और कसरत की वजह से उन में इस्तेसना भी मुम्किन नहीं है. और ना ही उन रिवायात में कोई ऐसी रिवायात बयान हुई है जो यह बयान कर रही हो कि बिदअत की एक क़िस्म अच्छी है जिसे ख़ुदावन्दे करीम पसन्द करता है.[1]... इस क़ायदे कुल्ली के बिना पर इस से किसी एक फ़र्द को "मुस तस्ना" (ख़ास) क़रार देना मुम्किन नहीं है.

सवाल नंबर 20: वह रिवायात जिन में यह बयान हुआ है कि हज़रत अली (अ.स) नमाज़े तरावीह पढ़ा करते या उस के लिए इमाम मुक़र्रर करते, इन्हें नमाज़े तरावीह के बिदअत होने वाली रिवायात के साथ कैसे जमा किया जा सकता है?

जवाब: शिया नुक़्ते नज़र से ऐसे अमल की हज़रत अली (अ.स) की तरफ़ निसबत देना झूठ है इसी तरह अहले सुन्नत उलमा के नज़दीक भी यह साबित नहीं

1 हक़ीक़तुल बिदअत व अहकामुहा, जिल्द 1, पेज 138

है कि हज़रत अली (अ.स) ने नमाज़े तरावीह बा जमाअत अदा की हो. जैसा कि बैहक़ी ने इस सिलसिले में चार पाँच रिवायत ज़िक्र की हैं और एक एक करके सबको ज़ईफ़ (झूठ) साबित किया है. लिहाज़ा तहक़ीक़ के बाद यह बात साबित हो चुकी है कि उन तमाम रिवायात में एक भी 'सहीह उल सनद' रिवायात मौजूद नहीं है. इस से यह भी साबित नहीं है कि ख़ुद हज़रत उमर ने नमाजे तरावीह पढ़ी हो! और अब्दुल्ला बिन उमर तो सख़्ती से इस के पढ़ने से मना करते थे.

इसी तरह हज़रत अली (अ.स) ने अपने दौरे हुकूमत में इस से मना फ़रमाया. एक दिन जब हज़रत अली (अ.स) कूफ़ा में थे तो कुछ लोग उन की ख़िदमत में हाज़िर हुए और नमाज़े तरावीह के लिये इमाम-ए-जमाअत की दरख़्वास्त की तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उन्हें मनफ़ी जवाब दिया और नमाज़े तरावीह अदा करने के लिये जमा होने से उन्हें मना

फ़रमाया. जब रात हुई तो एक दूसरे से कहने लगे: रमज़ान पर गिरया करें. वाय रमज़ान हाय रमज़ान.[1]...

सवाल नंबर 21: क्या यह जुमला ((अस्सलातो ख़ैरुम्मिनन नौम)) शुरू ही से अज़ान में मौजूद था या बाद में इज़ाफ़ा किया गया?

जवाब: जब हुक्मे अज़ान आया तो यह जुमला अज़ान में मौजूद नहीं था और बाद में इज़ाफ़ा किया गया:

A) अज़ान के बारे में सहीह रिवायत जिसे अहले सुन्नत नक़्ल करते हैं वह रिवायत मुहम्मद बिन इसहाक़ से है इस में यह जुमला मौजूद नहीं है.

B) सईद बिन मुसय्यब ने साफ़ साफ़ कहा है: मैंने यह जुमला सुबह की अज़ान में दाख़िल किया है.[2]

1 सराएर, जिल्द 3, पेज 639

2 नैलुल अवतार, जिल्द 2, पेज 37

C) इमाम मालिक ने अपनी किताब में साफ़ तौर पर लिख दिया है कि यह जुमला उमर बिन ख़त्ताब के हुक्म पर सुबह की अज़ान में दाख़िल किया गया.

मालिक बिन अनस से नक़्ल हुआ है: एक रात मुअज़्ज़िन (अज़ान देने वाला) हज़रत उमर के पास आया ताकि उन्हें सुबह की नमाज़ की ख़बर दें, तो उस ने देखा कि हज़रत उमर सो रहें हैं लिहाज़ा आवाज़ दी (अस्सलातो ख़ैरुम्मिनन नौम) नमाज़ निन्द से बेहतर हैं. इस पर उमर ने यह हुक्म दिया कि इस जुमले को सुबह की अज़ान में दाख़िल किया जाये.[1]

D) इमाम शाफ़ई ने इस के मकरुह होने और एक क़ौल की बिना पर बिदअत क़रार दिया है.

शौकानी कहते हैं: अगर यह जुमला अज़ान में दाख़िल होता तो हज़रत अली (अ.स), अब्दुल्ला बिन उमर और ताउस इस का इन्कार ना करते.[2]

---

1 अल मवत्ता इमाम मालिक, जिल्द 1, पेज 72

2 नैलुल अवतार, जिल्द 2, पेज 38

E) इब्ने जुरैज का कहना है: उमर बिन हफ़्स वह पहला शख़्स है जिस ने ख़िलाफ़ते उमर में पहली बार इस जुमले को सुबह की अज़ान में दाख़िल किया.[1]

F) इब्ने हज़्म कहते हैं: हम यह जुमला सुबह की अज़ान में नहीं कहते इसलिए कि यह पैग़म्बर (स) से नक़्ल नहीं हुआ.[2]

सवाल नंबर 22: क्या यह जुमला ((हय्या अला ख़ैरिल अमल)) अज़ान का हिस्सा है और इसे सहाबा व ताबिईन में से किसी ने पढ़ा है?

जवाब: सहीह रिवायत के मुताबिक़ अब्दुल्ला बिन उमर और अबू इमामा बिन सहल बिन हनीफ़ (इस जुमले के अज़ान से हज़्फ़ (हटा) दिये जाने के बाद भी) पढ़ा करते थे.[3]

1 मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़, जिल्द 1, पेज 474

2 अल महल्ली, जिल्द 3, पेज 160

3 अल महल्ली, जिल्द 3, पेज 160

बैहक़ी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से रिवायत नक़्ल की है कि वह अज़ान में यह जुमला पढ़ा करते और फ़रमाते: पहली अज़ान यही है.[1]

इसी तरह ज़ैद बिन अरक़म, हसन बिन याहया बिन जोअद और एक क़ौल के मुताबिक़ इमाम शाफ़ई भी यह जुमला अज़ान में पढ़ा करते.[2]

वस्सलाम

नज्मुद्दीन तबसी.

1 अल सुननुल कुबरा, जिल्द 1, पेज 624

2 नैलुल अवतार, जिल्द 2, पेज 39

अबू तालिब (अ.स) इंटरनॅशनल इस्लामिक इंस्टिट्यूट के अहदाफ़ व मक़ासिद

1) तालीमाते मुहम्मद व आले मुहम्मद (स) की नश्र व इशाअत
2) मुबल्लिग़ीन की तर्बियत
3) दीने मुबीने इस्लाम और मज़हबे हक़ पर होने वाले एतेराज़ात के मुकम्मल जवाबात
4) फ़न्ने तर्जुमा व तहक़ीक़ से आशनाई
5) ग़रीब मोमिन की मदद

अबू तालिब (अ.स) इंटरनॅशनल इस्लामिक इंस्टिट्यूट की मतबूआत

1) अस्सवाइक़ुल इलाहिय्य फ़ीर्रद्द अलल वहाबिया

2) वहाबियत अक़्ल व शरीयत की निगाह में

3) वहाबी अफ़कार की रद्द (उर्दू,सिंधी)

4) नज़रिय-ए-अदालते सहाबा

5) सलफ़ और सलफ़ी

6) नमाज़े तरावीह सुन्नत या बिदअत

7) नमाज़ में हाथ खोलें या बांधें (उर्दू,सिंधी)

8) शिया मज़हब पर होने वालें एतेराज़ात के जवाबात (उर्दू,सिंधी,हिन्दी)

9) आग और ख़ान-ए-ज़हरा (स.अ)

10) निदा-ए-विलायत

11) गिरया व अज़ादारी

12) मातम और अज़ादारी क्यों? (उर्दू,हिन्दी)

13) इन्क़लाबे हुसैनी (अ.स) के मक्की अय्याम

14) अक़्दे उम्मे कुलसूम

15) गुनाहगार औरतें

16) शिअयाने अली (अ.स) का मक़ाम

17) क्या मुतआ जाएज़ है?

18) पैग़म्बर (स) के पहले साथी कौन?

19) शर्हे चेहेल हदीस इमाम महदी (अ.स)

20) आमाले माहे मुबारक रमज़ान

21) हदीय-ए-मुबल्लिग़ीन

22) वहाबियत आमीले तफ़रिक़ा

23) रद्दुश्शुबहात

24) विलादते इमाम महदी (अ.स) और अस्रे ग़ैबत में वजूदे इमाम के फ़वाएद

25) निदा-ए-इस्लाम

26) मुतआ सहाबा, ताबिईन और फ़ुक़हा की नज़र में (उर्दू,हिन्दी)

27) रिजाल मक़ारिम

28) वहाबियत और तवस्सुल

29) हक़ पर कौन? (इस्लामी मज़ाहिब का वहाबियों से मुनाज़िरा)

30) शिनाख़्ते सहाबा

31) वहाबियत और अमवियत

32) वहाबियत का तनक़ीदी जाएज़ा

33) नमाज़े जुमा को मत तर्क करें

34) वहाबियत और अज़ादारी

35) पाकिस्तान के दीनी मदारिस को बेहतर बनाने की तजावीज़

36) वाक़िए करबला पर होने वाले एतेराज़ात के जवाबात

37) चेहलुमे इमाम हुसैन (अ.स) का फ़लसफ़ा

38) वहाबियत और तबर्रुक

39) सअद बिन अबी वक़्क़ास का हक़ीक़ी चेहरा

40) वहाबी अक़ाएद की रद्द (दर्सी निसाब)

41) इस्लाम में क़ैदियों के हुक़ूक़

42) क़ुरआने करीम से मुतअल्लिक़ एतेराज़ात के जवाबात

43) जमा बैनस्सलातैन (उर्दू,हिन्दी)